हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

कार्यसूची

षष्टम् सत्र

मंगलवार, 20 अगस्त, 2019/29 श्रावण,1941 (शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. **प्रश्नोत्तर:**

   (1) **तारांकित :**

   दिन के लिए — पृथक सूची में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

   (2) **अतारांकित :**

   दिन के लिए — पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. **कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :**

   (1) **श्रीमती सरवीन चौधरी, शहरी विकास मन्त्री,** हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 255(3) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं का वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखेंगी ।

   (2) **श्री विपिन सिंह परमार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

   (i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग, विधि अधिकारी, वर्ग-II (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्या: आयुर्वेद-ए0(3)2/2017 दिनांक 02.08.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 06.08.2018 को प्रकाशित; और

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग, मैकेनिक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्या: आयुर्वेद-ए0(3)20/99 दिनांक 11.02.2019 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 22.02.2019 को प्रकाशित ।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन:

(1) **श्री राकेश पठानिया, सभापति,लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2019-20),** समिति का **14वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 66वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश विद्युत परिषद्** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

(2) **श्री सुख राम, सभापति, कल्याण समिति, (वर्ष 2019-20),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-

(i) समिति का **14वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत "**मुख्य मन्त्री बाल उद्धार योजना**" से सम्बन्धित गतिविधियों पर आधारित तथा **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **15वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में संचालित योजनाओं के अन्तर्गत "**समेकित बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम तथा समेकित बाल संरक्षण योजना**" की संवीक्षा पर आधारित तथा **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है।

(3) **श्री बलबीर सिंह, सभापति, मानव विकास समिति, (वर्ष 2019-20),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-

(i) समिति का **12वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि **प्रारम्भिक शिक्षा विभाग** की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है; और

(ii) समिति का **13वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 40वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2012-13) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **प्रारम्भिक शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित है ।

(4) **श्री हीरा लाल, सभापति, सामान्य विकास समिति, (वर्ष 2019-20),** समिति का **12वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि **लोक निर्माण विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

4. नियम समिति का प्रतिवेदन :

श्री हंस राज, उपाध्यक्ष एवं सदस्य, नियम समिति, (वर्ष 2019-20) (तेरहवीं विधान सभा): नियम समिति के द्वितीय प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

5. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

श्री सुन्दर सिंह ठाकुर:

"to call the attention of the **Urban Development Minister** to the situation arising out of closure of Garbage collection & disposal site at Pirdi Kullu."

6. मंत्री द्वारा वक्तव्य:

(1) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री**, "अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के निर्णय" पर वक्तव्य देंगे ।

(2) **श्री विपिन सिंह परमार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री,** "इंदिरा गान्धी मेडिकल कॉलेज, शिमला में गुर्दा प्रत्यारोपण (Kidney Transplant)" सुविधा प्रदान करने बारे वक्तव्य देंगे ।

7. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव :

(1) श्री जगत सिंह नेगी
(2) श्री अनिरूद्ध सिंह
(3) श्री राम लाल ठाकुर
(4) श्री मोहन लाल ब्राक्टा
(5) कर्नल इन्द्र सिंह
(6) श्री राजिन्द्र गर्ग
(7) श्री राकेश सिंघा

} प्रस्ताव करेंगे कि:

"प्रदेश में भारी बरसात से हुए नुकसान बारे यह सदन विचार करे।"

शिमला-171004 — यशपाल शर्मा,
दिनांक: 19 अगस्त, 2019 — सचिव ।

*****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)